

अनुसूचित 'ड.'

(देखें नियम 26 और 29)

लोकायुक्त, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में गवाहों का सम्मन

परिवाद संख्या वर्ष.....
परिवादी (शिकायतकर्ता)-

बनाम

लोक सेवक-
सेवा में,

.....

.....

चूँकि लोकायुक्त, झारखण्ड के समक्ष उपर्युक्त परिवाद में
की ओर से (गवाह) के रूप में आपके हाजिरी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा आपसे
अपेक्षा की जाती है कि आप तारीख के 11 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उनके
समक्ष हाजिर हों और निम्नलिखित दस्तावेज अपने साथ लेते आवें या उन्हें अपने सेवक
या एजेंट द्वारा जो उन्हें साबित कर सके, भेज दें।

आप के द्वारा यात्रा-भत्ता, अन्य भत्ता और एक दिन के निर्वाह भत्ता के
रूप मेंरु० की रकम इस कार्यालय में जमा है। इनका भुगतान आप को यहाँ
हाजिर होने पर कर दिया जाएगा। यदि आपको अपनी हाजरी से पहले ही रकम की
जरूरत हो तो आप तदनुसार इस कार्यालय को सूचना दें। आपको वह रकम
मनिऑर्डर से भेज दी जाएगी। यदि आप बिना किसी विधिपूर्ण कारण के इस आदेश
का अनुपालन करने में असफल होंगे तो आप सिविल प्रक्रिया संहिता, 19.....की
अनुसूची..... के आदेश..... नियम.....में अधिकथित गैरहाजरी
के परिणामों के अधीन किये जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय मुहर के साथ दिया गया।

तारीख

सचिव/उप सचिव
लोकायुक्त, झारखण्ड, राँची का
कार्यालय।